विश्व व्यापार संगठन

के विरुद्ध

जनता का घोषणा-पत्र

खाद्य संप्रभुता पर विश्व फोरम की घोषणा

{ हवाना, क्यूबा, सितंबर 2001 }

उद्देश्य : खाद्य उत्पादन, उपभोग और संप्रभुता की अभिव्यक्ति संबंधी जन अधिकार के वास्ते

3 सितंबर से 7 सितंबर 2001 तक दुनिया के 60 देशों के कृषक एवं स्वदेशी संगठनों, मछली व्यवसाय से जुड़े संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक इकाइयों और शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र से जुड़े लगभग 400 प्रतिनिधि 'खाद्य संप्रभुता पर विश्व फोरम' के आयोजन के अवसर पर क्यूबा की राजधानी हवाना में एकत्रित हुए। यह आयोजन क्यूबा के छोटे किसानों के राष्ट्रीय संगठन और स्वदेशी कृषि एवं किसानों, मछली व्यवसाय से जुड़े कारीगरों, भरण–पोषण संबंधी खाद्य व्यवस्थाओं और खुद अपना पेट भरने के जन अधिकारों सरीखे मुद्दों पर आस्था रखने वाले अतंर्राष्ट्रीय संगठनों और आंदोलनों से जुड़े लोगों ने मिलकर किया।

हवाना में सम्पन्न यह आयोजन तीसरी दुनिया के एक ऐसे देश के प्रयासों को मिली मान्यता है जो पिछले चार दशकों से अमरीका द्वारा खड़े किए गए गैर–कानूनी एवं अमानवीय अवरोधों और भोजन को राजनीतिक–आर्थिक दवाब के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बावजूद अपने नागरिकों को पौष्टिक आहार संबन्धी मानवीय अधिकार प्रदान करने में सफल रहा हैं ऐसा वह व्यापक कृषि सुधारों, छोटे एवं मझोले उद्योगपतियों की सराहना व सहयोग और पूरे समाज की भागीदारी पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण, क्रियावान और दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति के तहत सम्भव कर पाया है।

हवाना में एकत्रित हुए प्रतिनिधियों का उद्देश्य उन कारणों को विश्लेषित करना था जिनके चलते पूरे विश्व में भुखमरी व कुपोषण दिन–व–दिन बढ़ता जा रहा है; स्वदेशी कृषि एवं किसानों, मछली व्यवसाय से जुड़े कारीगरों और पौष्टिक आहार संबन्धी खाद्य व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं लगातार बदतर होती जा रही है और लोग अपने ही साधनों पर स्वामित्व खोते चले जा रहे हैं। ये

प्रतिनिधि इसलिए भी एकत्रित हुए ताकि वे एकजुट होकर लोगों के पक्ष में, न कि परा–राष्ट्रीय खाद्य कंपनियों के हितों में, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर हो सकने वाले कार्यक्रमों, विकल्पों और कार्य योजनाओं का विकास कर सकें जिनका उद्देश्य वर्तमान परिदृश्य को परिवर्तित कर ऐसी नई नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना हो जो दुनिया के सभी स्त्री–पुरूषों के लिए सम्मानजनक एवं भूख–रहित वर्तमान और भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

विश्व खाद्य सम्मेलन के पांच वर्ष बाद, उरूगवे चक्र के तहत कृषि संबन्धी समझौतों के सात वर्ष बाद, और अनेक देशों की सरकारों द्वारा पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से आधुनिक उदारवादी नीतियों को लागू करने के बावजूद भी लोगों की खाद्य और पोषण संबन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के अनेक सरकारी वायदे अभी भी अधूरे ही हैं। वास्तविकता तो यह है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के इशारे पर थोपी गई, और परा–राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पोषित आर्थिक, कृषि, मछली पालन और उद्योग संबन्धी नीतियों ने अमीर और गरीब देशों के बीच खाई बढ़ा दी है और अनेक देशों में विभिन्न वर्गों के बीच आय की विषमता को बढ़ावा दिया है। यहां तक कि इन नीतियों के चलते तथाकथित विकसित देशों में भी खाद्य–उत्पादन की स्थिति में भारी गिरावट आई है और विश्व जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को 'स्वस्थ और पौष्टिक आहार तक पहुंच' से वंचित रखा गया है।

खाद्य–व्यवस्थाओं का निरंतर बने रहना कोई तकनीकी मसला नहीं है। यह एक ऐसी चुनौती है जो राज्यों द्वारा उच्च राजनीतिक इच्छा प्रदर्शित करने की मांग करती है, जबकि मात्र लाभ कमाने की इच्छा प्रकृति द्वारा स्वीकार्य उत्पादन सीमा का उल्लंघन कर खाद्य–व्यवस्थाओं की निरंतरता को आघात पंहुचाती है। खाद्य–व्यवस्थाओं की निरंतरता वर्तमान व्यापारिक व्यवस्था के तहत और विश्व व्यापार संगठन एवं अंतराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के संदर्भ में सम्भव नहीं है।

भूख–रहित नई सदी की उम्मीद, सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार करती, आज धूलधूसरित हो चुकी है।

भूख एवं कुपोषण के वास्तविक कारण

भूख, कुपोषण और जंगल, जमीन, बीज, पानी एवं तकनीक तक पंहुच के अधिकार से करोड़ों लोगों का वंचित होना कोई भाग्य का खेल या फिर भौगोलिक अथवा जलवायु जनित स्थिति का परिणाम नहीं है बल्कि यह परिणाम है विकसीत देशों और उनकी कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर लागू करवाइ जा रही आर्थिक, कृषि और व्यापार संबन्धी नीतियों का, जिनके माध्यम से ये देश वैश्विक आर्थिक पुर्नरचना की वर्तमान प्रक्रिया में अपना राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य दवदबा न केवल बनाए रख सकें बल्कि उसे बढ़ा भी सकें।

इन नीतियों के पीछे छिपे आधुनिक उदारवादी वैचारिक सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में

- हम निश्चित रूप से कहते हैं कि आहार बेचने–खरीदने की वस्तु नहीं है। और यह कि खाद्य–व्यवस्था को बाजार के तर्क के आधार पर नहीं देखा जा सकता।
- हम इस तर्क को त्रुटिपूर्ण मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि और मत्स्य व्यापार लोगों को भोजन का अधिकार दिलाता है।
- जरूरी नहीं है कि व्यापारिक उदारीकरण, आर्थिक विकास और लोगों की खुशहाली को सुगम बनाए।
- अविकसित देश अपना भोजन खुद पैदा करने में सक्षम हैं और भविष्य में भी सक्षम रहेंगे।
- तुलनात्मक लाभ की आधुनिक उदारवादी धारणा खाद्यान्न व्यवस्थाओं को बहुत अधिक नुकसान पंहुचाती है।
- इस धारणा के चलते अमीर देशों में उपलब्ध "सस्ते अनाज" को खरीदने का लालच आवश्यक भोज्य पदार्थों के आयात में परिणित हो स्वदेशी उत्पादन को चौपट कर देता है। यह सोच आगे चलकर स्वदेशी

उत्पादक स्रातों को उन निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादों की ओर मोड़ देती है जो ज्यादा प्रतियोगात्मक हैं और विकसित देशों के बाजार में मूल्यवान हैं। यह कहना सरासर झूठ है कि देशों को अपने नागरिकों को भोजन की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने हेतु सरकारी नीतियों का निर्माण एवं पालन नहीं करना चाहिए। हांलाकि आधुनिक उदारवादी सिद्धान्तों के समर्थक ये तर्क देते हैं कि निर्यातक देशों की वैश्विक महाबाजार बिना किसी कठिनाई के किसी भी तरह की मांग की पूर्ति कर सकती है।

- ये आधुनिक उदारवादी सिद्धांतों के समर्थक, ऐसा कह कर कि स्वदेशी किसान और मछली–पालन मज़दूर अकार्यकुशल और खाद्यान उत्पादन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल इस तर्क को आधार बना कर वे अन्य देशों पर व्यापक रूप से सघन औद्योगिक कृषि एवं मछली–पालन को थोपने का प्रयास करते हैं।
- हम इस तर्क को झूठ मानते हैं कि ग्रामीण जनता की संख्या उसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में दिए जाने वाले सहयोग से कहीं ज्यादा है। वास्तविकता में तो यह सोच जनता को जमीन से और मछली पेशे से जुड़े मजदूरों को समुद्र तटों से बेदखल कर प्राकृतिक सम्पदा का निजीकरण करने का प्रयास दिखाई देती है।
- हम विश्व की बढ़ती खाद्यान्न मांग की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर ओद्योगिक कृषि और मछली–पालन के इस्तेमाल को नकारते हैं।
- हमें आश्वस्त करने के लिए वे तर्क देते हैं कि किसानों, मछली व्यवसाय से जुड़े मजदूरों और आम ग्रामीण जनता के लिए अपनी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यापक स्तर पर ग्रामीण किसान और मजदूर शहरों या फिर दूसरे देशों की ओर पलायन करने लगते हैं। इस तरह निर्यात एवं परा–राष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ी राष्ट्रीय

अर्थ–व्यवस्थाओं के क्रियाशील क्षेत्रों को अपनी 'प्रतियोगितात्मक क्षमता' बढ़ाने के लिए 'सस्ते मजदूर' मिल जाते हैं, जबकि इनके अपने विकसित देशों में बेरोजगारी और छंटनी लगातार बढ़ ही रही है।

- परा–राष्ट्रीय कंपनियों के खाद्यान्न नमूने को यह कह कर हमारे ऊपर थोपे जाने का प्रयास किया जा रहा है कि समूचे विश्व में मात्र यही सटीक एवं कारगर नमूना है। यह एक तरह का खाद्यान्न औपनिवेशवाद है जो लोगों की आहार संबंधी सांस्कृतिक विविधता और उनकी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं जातीय पहचान पर खतरा है।
- इस संदर्भ में साम्राज्यवादी शक्तियां सार्वभौम देशों और लोकप्रिय प्रतिरोधी आंदोलनों के खिलाफ आर्थिक व राजनीतिक दवाब बनाने के लिए खाद्यान्न को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है।
- उपरोक्त वर्णित कदम एक सोची–समझी रणनीति के तहत उठाए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य राज्यों को कमजोर कर ऐसे छद्म लोकतंत्र को बढ़ावा देना है जो निरंतर जन–कलयाण की उपेक्षा करता हो और सरकारी नीतियों के निर्माण, बहस, स्वीकृति, लागू करने और नियंत्रण में भागीदारी से आम जनता, खासकर ग्रामीण समुदाय, को वंचित रखता हो।

आधुनिक उदारवादी नीतियों के दुष्परिणाम

इन झूठी और त्रुटिपूर्ण नीतियों के दुष्परिणाम सामने हैं : इन नीतियों ने जहां विकसित देशों की आर्थिक शक्तियों के व्यापार और मुनाफे को बढ़ा दिया है वहीं तीसरी दुनियां के लोगों के हिस्से में आई है विदेशी कर्ज में लगातार बढ़ोत्तरी और बेइंतहा गरीबी। साथ ही जहां अतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार पर चंद परा–राष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार में बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं ज्यादातर लोगों की खाद्यान्न असुरक्षा कहीं अधिक बढ़ गई है।

जबकि कृषि और मछली निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक सरकारी सहायता दी जा रही है, वहीं स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करने

वाले छोटे व मझोले स्तर के उत्पादकों को अनेक सरकारें किसी भी तरह की सहायता अथवा सुरक्षा नहीं प्रदान कर रही हैं।

- विकसित देशों द्वारा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में दी जा रही सरकारी सहायता (सब्सिडी) की नीतियों के चलते परा–राष्ट्रीय कंपनियां बहुत सस्ते दामों में उत्पाद खरीदकर उन्हें ग्राहकों को बहुत अधिक दामों में बेचती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तो आधुनिक उदारीकरण की इन नीतियों ने व्यापक स्तर पर गांवों को तहस–नहस कर दिया है। एक तरह से किसानों और स्वदेशी कृषि के विरूद्ध युद्ध सा छेड़ दिया गया है जिसके भंयकर परिणाम सामुदायिक और जातीय हत्या के रूप में सामने आए हैं।
- ऊधर मछली व्यवसाय से जुड़े मजदूर समुदाय लगातार अपने ही स्रोतों पर पकड़ खोते जा रहे हैं।
- आधुनिक उदारीकरण की इन नीतियों के चलते भुखमरी और कुपोषण अन्न के अभाव में नहीं बल्कि अन्न पर जनता के अधिकार के अभाव में बढ़ रहे हैं।
- हम अनेक ऐसे उदाहरणों के गवाह हैं जो हमें यह कहने का अधिकार देते हैं कि इस पृथवी से भूख और कुपोषण को मिटाया जा सकता है, साथ ही स्थायी और लगातार चलने वाली खाद्यान्न संप्रभुता का इस्तेमाल भी किया जा सकता। इसी प्रकार हमने प्रत्येक देश में कृषक एवं स्थानीय समुदाय द्वारा अक्षुण और जैविक खाद्य उत्पादन एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विभिन्न दिशाओं में प्रबंधन के अनेक उदाहरण देखे हैं।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, 'खाद्यान्न संप्रभुता पर विश्व फोरम' के भागीदार घोषणा करते हैं कि -

1. खाद्य संप्रभुता, भुखमरी और कुपोषण मिटाने का साधन है और यह सभी के लिए स्थायी व निरंतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

खाद्य संप्रभुता को हम जन अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं – एक ऐसा जन अधिकार जो लोगों को खाद्यान्न के निरंतर उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी अपनी नीतियों और योजनाओं को खुद तय करने का अधिकार देता है ताकि पूरी जनसंख्या को खाद्यान्न का अधिकार उपलब्ध कराया जा सके जिसका आधार उनकी अपनी संस्कृति और कृषक, मछली व्यवसाय व कृषि उत्पादन के देशी तरीकों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबंधन एवं बाजारीकरण को सम्मान देते हुए छोटे व मझोले स्तर पर उत्पादन करना हो और जिसमें महिलाओं की भूमिका मुख्य हो।

खाद्यान्न संप्रभुता लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संप्रभुता को पोषित करती है।

खाद्यान्न संप्रभुता ऐसी कृषि व्यवस्था को मान्यता प्रदान करती है जिसमें अपनी ज़मीन से जुड़े किसानों, स्थानीय लोगों और मछली व्यवसाय से जुड़े मजदूरों की अहम् भूमिका होती है; ऐसी व्यवस्था जो स्थानीय एवं राष्ट्रीय जरूरतों की संतुष्टि के इर्द–गिर्द घूमती हों; एक ऐसी कृषि व्यवस्था जिसका मुख्य सरोकार मानवीय कल्याण हो; और जो किसानों, उत्पादन के देशी तरीकों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबंधन की बहु–क्रियाशीलता को सहेजती, महत्व देती और पोषित करती हो। इसी प्रकार खाद्यान्न संप्रभुता, लघु–स्तरीय, परिवार आधारित स्वदेशी कृषि के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व को न केवल मान्यता प्रदान करती है बल्कि इसकी प्रशंसा भी करती है।

हम सभी देशों के स्थानीय लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता और संस्कृति को मान्यता प्रदान करना, भूख और कुपोषण की समस्या से निपटने और जनता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी मानते हैं। खाद्य संप्रभुता में देशों की बहु–जातीयता और स्वदेशी लोगों की पहचान को मान्यता देना और प्रशंसा करना निहित है साथ ही निहित है, उनकी

सीमाओं, प्राकृतिक सम्पदाओं, उत्पाद के तरीकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबंधन, बीज, ज्ञान और सांगठनिक प्रकारों पर उनके स्वतंत्र नियंत्रण को मान्यता प्रदान करना। इस संदर्भ में हम सभी स्वदेशी और अफ्रीकी मूल के लोगों के संघर्षों का समर्थन करते हैं और उनके अधिकारों को पूरा सम्मान दिए जाने की मांग करते हैं।

5. खाद्य संप्रभुता में यह भी निहित है कि सभी लोगों, खासकर कमजोर वर्गों, की स्वस्थ एवं भरपूर भोजन तक पहुंच राष्ट्रीय सरकारों के आवश्यक उत्तरदायित्वों के निर्वाह और नागरिक अधिकारों के पूर्ण इस्तेमाल के लिए जरूरी है। लेकिन लोगों की भोजन तक पहुंच से तात्पर्य यह नहीं है कि यह भोजन उन्हें सरकारी अथवा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर निजी संस्थाओं से मदद के रूप में मिलता हो।

6. खाद्य संप्रभुता में प्रत्येक देश और क्षेत्र की विशिष्टताओं को आत्मसात कर किए गए विस्तृत कृषि सुधार की प्रक्रिया को लागू करना भी निहित है। यह प्रक्रिया महिलाओं सहित ग्रामीणों और किसानों को भूमि, जंगल और जल जैसे उत्पादनशील संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करती है साथ ही उत्पादन, ऋण–वितरण, प्रशिक्षण और प्रबंधन एवं सम्भाषण के लिए क्षमता। निर्माण के हथियार का माध्यम भी प्रदान करती है। कृषि–सुधार को राष्ट्रीय सरकारों का उत्तरदायित्व माना जाना चाहिए क्योंकि जहां मानव अधिकारों के चौखट में ये प्रक्रिया जरूरी है वहीं गरीबी से निपटने का कारगर हथियार भी है। यह कृषि सुधार प्रक्रिया भूमि किराया बाजार सहित ग्रामीण संगठनों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए और समवेत कृषि और व्यापार नीतियों में वर्णित बंटाई भूमि पर उत्पादक के व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों की गारंटी देने वाली होनी चाहिए। हम सरकारों द्वारा वास्तविक कृषि–सुधार स्वीकृत करने के बजाय विश्व बैंक द्वारा आगे बढ़ाई जा रही भूमि के व्यवसायीकरण की नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करते हैं।

7. हम सन् 1996 में नागरिक संगठनों द्वारा रखे गए उस प्रस्ताव का समर्थन

करते हैं जिसमें राज्यों को समुचित भोजन के मानवाधिकार संबंधित आचार–संहिता का निर्माण करने के लिए कहा गया था ताकि यह आचार–संहिता इस अधिकार को लागू करने और इसकी उन्नति के माध्यम के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सके। लोगों का भोजन का अधिकार मानवाधिकार घोषणा में शामिल है और सन् 1996 में रोम में सम्पन्न विश्व खाद्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के सदस्य राज्यों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

8. हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन् 1966 में अपनाए गए 'आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते' को अधिसंख्य देशों द्वारा जल्द से जल्द प्रमाणित और लागू किया जाए।

9. भोजन पर लोगों के अहस्तांतरित अधिकार के सिद्धान्त के पक्ष में हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'खाद्य संप्रभुता एवं पौष्टिक कल्याण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सभा' को अपनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस सभा को अतंर्राष्ट्रीय व्यापार व अन्य क्षेत्रों से संबंधित फैसलों को नकारने का अधिकार होना चाहिए।

10. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार का मकसद मानव सेवा होना चाहिए। खाद्य संप्रभुता का अर्थ निरंकुशता, पूर्ण आत्म–निर्भरता या अंतर्राष्ट्रीय कृषि और मत्स्य व्यापार का तिरोहित होना नहीं है।

11. हम विश्व व्यापार संगठन द्वारा खाद्य, कृषि और मछली व्यसाय में किसी भी तरह के दखल और राष्ट्रीय खाद्य नीतियों के निर्धारण के प्रयास का विरोध करते हैं। हम साफ तौर से पेड़–पौधों और अन्य जैव पदार्थों पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी समझौतों और समझौतों के नए दौर (कथित सहस्त्राब्दि दौर) का विरोध करते हैं। विश्व व्यापार संगठन को खाघान्न से दूर रखो।

12. हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए एक नई लोकतांत्रिक और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की प्रस्तावना करते हैं जिसके तहत

विश्व व्यापार संगठन से स्वतंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय अपील कोर्ट की व्यवस्था हो और सही खाद्य व्यापार पर बहुपक्षीय समझौतों के फोरम के रूप में अंकटाड (UNCTAD) को अधिक मजबूत बनाया जाए। साथ ही हम यह भी प्रस्तावित करते हैं कि आधुनिक उदारवादी उद्देश्यों से असम्बद्ध उत्पादक संगठनों के बीच क्षेत्रीय सौहार्द योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए।

13. हम ऐसे बेईमानीपूर्ण सरकारी व्यवहार का तुरंत खात्मा चाहते हैं जो वस्तु का बाजार भाव उत्पादन मूल्य से नीचे रखता है और उत्पादन एवं निर्यात के लिए सरकारी सहायता देता है।

14. हम एफ.टी.ए.ए. (FTAA) का विरोध करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि यह अमरीका द्वारा विकसित एक साम्राज्यवाद विस्तार संबंधी योजना के अलावा कुछ नहीं है जिसका इस्तेमाल अमरीका लेटिन अमरीका और अफ्रीका पर अपने नियंत्रण को अधिक मजबूत बनाने, अपनी आर्थिक सीमाओं का विस्तार करने और विशाल बाजार की गारण्टी हासिल करने के लिए करता है।

15. हम कृषि संबंधी नाफटा (NAFTA) समझौतों को निलंबित करने की मैक्सिको के ग्रामीण एवं सामाजिक संगठनों की मांगों का समर्थन करते हैं।

16. जैव सम्पदाएं हजारों वर्ष के विकास का परिणाम हैं और सम्पूर्ण मानवता की सम्पति हैं। अतः जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित बेहतर किस्म के जैव उत्पादों की चोरी और पेटेंटीकरण पर प्रतिबंध लागू होना चाहिए। बीजों पर पूरी मानवता का पैतृक अधिकार है। चंद परा–राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेहतर जीन वाले पौधों के निर्माण की तकनीकों पर एकाधिकार करना लोगों की खाद्य संप्रभुता पर मंडरा रहे गहरे संकट को दर्शाता है। इसी के साथ चूंकि बेहतर जीन वाले पौधों के मानव स्वास्थ्य और वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अभी जानकारी नहीं है अतः हम इनके खुले प्रयोगात्मक इस्तेमाल,

उत्पादन और विक्रय पर उस समय तक प्रतिबंध की मांग करते हैं जब तक कि उनकी प्रकृति और पभाव के बारे में ठोस जानकारी हासिल न हो जाए।

17. प्रत्येक राष्ट्र के कृषि संबंधी इतिहास और आहार संस्कृति के व्यापक प्रचार एवं प्रशंसा को बढ़ावा देना जरूरी है लेकिन साथ ही लोगों की आहार–संस्कृति से तारतम्य नहीं रखने वाले खाद्य मॉडल को उन पर थोपना भी उचित नहीं है।

18. हम अपनी इस इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं कि हम लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने संबंधी उद्देश्यों को स्थानीय उत्पादन व्यवस्थाओं सहित राष्ट्रीय खाद्य नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल कराने, उनको सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार की तरफ मोड़ने, जनता द्वारा उपभोग किए जाने वाले आहार की गुणवता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और खाध पदार्थों पर लगाए जाने वाले लेबल एवं खाद्य पदार्थों संबंधी विज्ञापनों की सामग्री पर नियंत्रण बढ़ा कर खाद्य पदार्थों के बारे में लोगों के जानकारी के अधिकार की लड़ाई लड़ने को कटिबद्ध हैं।

19. खाद्य संप्रभुता की नींव पर्यावरण दृष्टि से दूरगामी तकनीकों पर आधारित उत्पादन की विविध व्यवस्थाओं पर रखी जानी चाहिए। लघु उत्पादकों द्वारा स्थानीय स्तर पर दीर्घकालीन खाद्य उत्पादन और उपभोग की दिशा में पहल का विकास करना आवश्यक है और इसके लिए ऐसी सरकारी नीति–निर्माण की जरूरत है जो पूरे विश्व में निरंतर उपलब्ध खाद्य व्यवस्थाओं का निर्माण करे।

20. सही मूल्य और प्रोत्साहन कार्यक्रमों के द्वारा किसानों, ग्रामीणों और मछली व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को ग्रामीण क्षेत्रों के निरंतर व वैविध्य प्रबंधन के लिए उनकी प्रशंसा की हम मांग करते हैं।

21. जब हम विश्व स्तर पर खाद्यान्न समस्या की बात करते हैं तब हमें उस सांस्कृतिक विविधता का भी ध्यान रखना चाहिए जिसके विभिन्न

स्थानीय एवं क्षेत्रीय संदर्भ होते हैं क्योंकि पर्यावरण और जैव–विविधता, सांस्कृतिक विविधता से घनिष्ठरूप से संबंद्ध है।

22. निरंतर उपलब्ध खाद्य व्यवस्थाओं के विकास की प्रक्रिया के बारे में सोचते समय पौष्ठिकता से जुड़े सवालों पर भी विचार करना जरूरी है। उदाहरण के लिए कृषि से जुड़े दूषित तत्वों के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाने की मांग का सवाल।

23. हम कृषि और मछली व्यवसाय से जुड़े उत्पादों की बोवाई, कटाई, उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के क्षेत्रों में और लोगों की खाद्य संस्कृति को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका को मानते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। हम महिलाओं द्वारा उत्पादक संसाधनों तक अपनी पहुंच के लिए छेड़े गए संघर्ष और स्थानीय उत्पादों के उत्पादन और उपभोग के उनके अधिकारों का समर्थन करते हैं।

24. मछली व्यवसाय से जुड़े कारीगर और उनके संगठन मछली व्यवसाय से जुड़े संसाधनों तक खुली पहुंच और मछली व्यवसाय से जुड़ी कारीगरी के तरीकों के विशिष्ट इस्तेमाल के लिए आरक्षित क्षेत्र के रख–रखाव के अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेगें। इसी प्रकार हम समुद्र तटों और भूमिगत जल स्त्रोतों पर उनके पैतृक एवं पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने की भी मांग करते हैं।

25. खाद्य सहायता संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जानी चाहिए। ये कार्यक्रम और नीतियां न तो स्थानीय व राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन क्षमताओं के विकास में बाधा पैदा करने वाली होनी चाहिए, और न ही इन्हें निर्भरता बढ़ाने वाली, स्थानीय व राष्ट्रीय बाज़ार को बिगाड़ने वाली, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली और सेहत के लिए नुकसानदेह खाद्य पदार्थो की डम्पिंग को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए।

26. खाद्य संप्रभुता राज्यों को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत बनाकर और पूरे समाज के स्वयं संगठित होने, पहल लेने और गतिमान होने पर ही प्राप्त की जा सकती है, सुरक्षित रखी जा सकती है और अभिव्यक्त की

जा सकती है। और इसके लिए दीर्घकालीन सरकारी नीतियों, उनका प्रभावी जनतांत्रिकरण और एकता–आधारित सामाजिक व्यवस्था के विकास की आवश्यकता है।

27. हम क्यूबा और दूसरे देशों की जनता के खिलाफ अमेरिका द्वारा खड़े किए गए अवरोधों एवं जन–आंदोलनों व राष्ट्रों के विरूद्ध आहार को आर्थिक व राजनीतिक दवाब बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अमरीकी नीति की आलोचना करते हैं। हम मांग करते हैं कि इस एकपक्षीय नीति को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।

28. खाद्य संप्रभुता एक नागरिक परिकल्पना है जो पूरे समाज से संबद्ध है। इस कारण सामाजिक सम्वाद की प्रक्रिया में सभी समाजिक क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए।

29. हमारा दृढ़ मत है कि सभी देशों में और सभी लोगों के लिए खाद्य संप्रभुता हासिल करना और भुखमरी एवं कुपोषण को दूर करना संभव है। हम अपने इस संकल्प को अभिव्यक्त करते हैं कि हम आधुनिक उदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे, क्रियाशील सामाजिक गतिशीलता को न केवल बनाए रखेंगे बल्कि उसे बढ़ाएंगे भी, कूटनीतिक गठबंधनों का निर्माण करेंगे और ठोस राजनीतिक निर्णयों को अंजाम देंगे।

30. हम संघर्ष के पहलुओं को तीव्र क्रियाशीलता और व्यापक गतिशीलता प्रदान करने के लिए एक आह्वान की शुरूआत से सहमत हैं –

- अब तक 'विश्व खाद्य दिवस' के रूप में मनायी जाने वाली तिथि 16 अक्टूबर हर वर्ष 'विश्व खाद्य संप्रभुता दिवस' के रूप में मनाई जाए।

- हम मांग करते हैं कि इस वर्ष 5 से 9 नवम्बर तक मनाया जाने वाला सम्मेलन 'World Food Summit Five Years Later' अपने

निश्चित समय पर ही मनाया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वाह करे। सामाजिक संगठनों को अपने कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और सरकारी प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं महाद्विपीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए।

- हम मांग करते हैं कि इटली की सरकार प्रदर्शन की स्वतंत्रता का सम्मान करे और आधुनिक उदारवादी वैश्वीकरण के विरूद्ध खड़े सामाजिक आंदोलनों को पीड़ित करना बंद करे।

- 9 से 13 नवम्बर 2001 के बीच दोहा, कतर में चलने वाली विश्व व्यापार संगठन मंत्रिमंडलीय बैठक, 13 से 16 नवम्बर 2001 के बीच हवाना में चलने वाली 'Heminspheric Conference Against the FTAA, और 31 जनवरी से 6 फरवरी 2002 के बीच Porto Alegre में आयोजित द्वितीय विश्व सामाजिक फोरम की बैठकों में भागीदारी और गोलबंदी।

पहले पेट की आग हो ठंडी
तब अनाज जाएगा मंडी

पॉपुलर एजूकेशन एण्ड एक्शन सेंटर

एफ–93, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016

फोन/फैक्स : 696 8121